YASHVI TRANSLATION
Customized language solutions
MSME Reg. No.: UDYAM-UP-29-0026303
S & E Reg. No.: UPSA09719697

Hindi-English Adoption
Target:English

Yashvi Translation
ISO 17100:2015 Certified
Govt. Registered Agency
E-mail: info@yashvitranslation.com
Yashvi.tran@gmail.com
Web:www.translate-englishto.com/

In the Court of First Additional Principal Judge Family Court Indore
(Before: Mahendra PS Arora)

Adoption Case No [redacted]
Date of filing 23-12-2009

[redacted] Ingle Age 48 Years Occupation Job Resident of E-22 RR Kent Colony Indore (MP)

...Applicant

Vs

1. Maatrchhaaya Shri Seva Bharati Shiksha Samiti, through Coordinator [redacted] Chikitsak Nagar Ring Road Near Bombay Hospital Indore (MP)
2. General Public

...Non-Applicant

-: ORDER:-

That pronounced today on dated 06-02-2010.

This application dated 23-2-2009 has been submitted on behalf of the applicant for adoption of orphan, minor, abandoned girl "[redacted]" under Section 9(4) of Hindu Adoption and Maintenance Act.

2- The case of the applicant in brief is as follows that the applicant is a 48 year old unmarried healthy woman following Hindu religion, one who has not been married and there is no possibility of getting married in the near future because after medical examination, in the opinion of the doctor, there are many less chances of having a child. The applicant is in government service and her monthly income is Rs 80,000/- per month. The Non-Applicant No 1 Maatrchhaaya Seva Bharti Ashram is an institution recognized by the Social Justice Department of MP Government, Bhopal, who takes care of minor, abandoned and orphan boys and girls and after being appointed as legal guardian by the court, does the work of adoption after presenting the

For Yashvi Translation

NOTARY
Mehar Chand Paul
Advocate
Ghaziabad
Regn No. 13416
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
Mehar Chand Paul
Advocate Notary
Ghaziabad
Regn. No. 13416

necessary documents to the eligible couple. According to the order dated 1-12-09 passed in Guardian Case No 158/09, the Coordinator [redacted] has been appointed as the legal guardian of the girl [redacted] The applicant is very fond of children, therefore she has taken action to adopt a girl child [redacted] aged 1.5 years, and she has also presented the required documents in favor of the institution. The applicant has no knowledge of [redacted] parents. After adopting the applicant girl [redacted], she is complete in her education, upbringing, marriage etc. and shaping her future and she will give her all the rights as a father and mother give to their son or daughter and she will also give love and affection.

3- The reply has been presented on behalf of the Non-Applicant institution and all the pleadings presented by the applicant have been accepted and disclosed that the applicant has no personal interest or benefit in adopting [redacted], nor has any transaction taken place in this regard and the applicant is physically, mentally healthy and capable of adoption and the institution has no objection in giving Avni to the applicant for adoption.

4- The triable issue in this case is that:-

(1) Whether Applicant is authority to obtain permission to adopt girl child [redacted] from the Non-Applicant No 1 Maatrchhaaya Shri Seva Bharti Shiksha Samiti, Indore?

(2) Relief and expenses:-

CONCLUSION AND GROUND WITH CAUSE

5- From the final arguments of both the parties and the overall perusal of the case, it is clear that the applicant is unmarried, because according to the medical opinion, there are less chances of having a child in the future, therefore the applicant has requested for permission to adopt the minor girl [redacted] and evidence from both the parties has been recorded in support, in which the statement given on oath by the applicant Dr. [redacted] Ingle (PW1) contains the fact that she is a 47 year old woman following Hindu religion and she is not

For Yashvi Translation

Yashvi Translation

YASHVI TRANSLATION
Customized language solutions

MSME Reg. No.: UDYAM-UP-29-0026303
S & E Reg. No.: UPSA09719697

Yashvi Translation
ISO 17100:2015 Certified
Govt. Registered Agency
E-mail: info@yashvitranslation.com
Yashvi.tran@gmail.com
Web:www.translate-englishto.com/

married and there is no possibility of getting married and she is mentally and physically healthy, she is very fond of children, she is posted as Scientist officer at [redacted] Center for Advanced Technology, Indore and monthly income is 80000/-, she has her own movable and immovable property and her own plot at Parmanu Nagar Indore and she has also two wheeler and four wheeler car. The Applicant has taken action to adopt the orphan and abandoned girl [redacted] growing up in the Non-Applicant institution and she has also provided the desired documents to the Non-Applicant institution, application Exhibit P-1 its photocopy is Exhibit P-1C on which bear her signature on part A to A and photograph is pasted on part B to B, Health Certificate P-2, Photocopy P-2C, Income Salary P-3, Photocopy P-3C, Police Investigation Report P-4 and Photocopy Exhibit P-4C and her mother's consent in adoption is Exhibit P-5, Photocopy Exhibit P-5 C, Home Study Report P-6 and its Photocopy is Exhibit P-6 C.

6- These facts have also come in the statement of Applicant Dr [redacted] (PW1) that after adopting the girl [redacted] she will be given the same love and affection which a parent gives to her daughter and she will transfer all her legal rights to [redacted] if she gets married in the future and a child is born, then [redacted] will be considered her first daughter and she will get the same rights that the first daughter gets. She has nothing to do with the Non-Applicant institution.

7- [redacted] (DW1) the institution coordinator on behalf of the Non-Applicant organization has stated on oath in the court that his organization is a registered institution, whose registration certificate is Exhibit D-1, photocopy is Exhibit D-1C, certificate of recognition by the government is Exhibit D-2C, photocopy is Exhibit D-2C and general power of attorney is Exhibit D-3, photocopy of which is Exhibit D-3C. Avni was left at the door by an unknown person on dated-15-6-09, information about which was given to the concerned police and she was declared destitute by the Child Welfare Committee, Indore on dated 25-11-09, he has

For Yashvi Translation

Yashvi Translation

YASHVI TRANSLATION
Customized language solutions

MSME Reg. No.: UDYAM-UP-29-0026303
S & E Reg. No.: UPSA09719697

Yashvi Translation

ISO 17100:2015 Certified
Govt. Registered Agency
E-mail: info@yashvitranslation.com
Yashvi.tran@gmail.com
Web:www.translate-englishto.com/

been appointed the legal guardian of Avni by the court as per the order dated 1-5-09, the certified copy of the order is Exhibit D-4 and Photocopy is D-4C. In favor of his institution, Miss Dr [redacted] Ingle has presented documents Exhibit P-1 to 6, his institution wants that Avni should get the love and affection of her parents and her future should be bright. His institution has no objection giving adoption the girl [redacted] to Dr [redacted] Ingle.

8- From the perusal of evidence presented in the case and overall record of the case, it is clear that the applicant is capable of providing education and marriage of the girl [redacted] and shaping her future and after taking adoption, the girl will get the love of her parents and her future will be bright, which will be beneficial for her.

9- Consequently, the application of the applicant is accepted. The applicant is given permission to adopt girl child [redacted]. The Non-Applicant institution should get the adoption deed executed and registered in favor of the applicant and present a photocopy of the registered deed in the court within a period of 15 days from the date of order, which should be annexed to the record.

10- As per the above, the applicant should get the minor, orphan and abandoned girl [redacted] adopted from the Non-Applicant institution.

The order was signed and dated and pronounced in the open court.

Signature in English Illegible
(Mahendra PS Arora)
First Additional Principal
Judge Family Court, Indore

Signature in English Illegible
(Mahendra PS Arora)
First Additional Principal Judge
Family Court, Indore

Signature in English Illegible
Dated 06.02.2010
(Mahendra PS Arora)
First Additional Principal
Judge Family Court, Indore

For Yashvi Translation

NOTARY GOVT OF INDIA
Mehar Chand Paul
Advocate
Ghaziabad
Regn No. 13416

ATTESTED
Mehar Chand Paul
Advocate Notary
Ghaziabad
Regn. No. 13416

SM-9,A-105,Ext-II,Shalimar Garden,Sahibabad,Ghaziabad(U.P.) (Delhi NCR)-201005,INDIA

Source:Hindi

(महेन्द्र पी एस. अरो..,
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर (म. प्र.)

न्यायालय प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय इन्दौर

(समक्ष : महेन्द्रपी०एस०अरोरा)

एडाप्शनप्रकरण क्रमांक[redacted]
संस्थित दिनांक23-12-2009

कुमारी [redacted] आयु 48वर्ष
धन्धा नौकरी निवासी ई-22आर०आर०कैट कालोनी
इन्दौर (म०प्र०)------------------------------------ प्रार्थी

विरुद्ध

1-मातृछाया श्री सेवा भारती शिक्षा समिति,
समन्वयक [redacted]
चिकित्सक नगर रिंग रोड बाम्बे हास्पटल के
पास इन्दौर (म०प्र०)
2-सर्व साधारण ---------------------------------- प्रतिप्रार्थी

-:आदेश:-

आजदिनांक06-02-2010 को पारित कियागया।

प्रार्थी की ओर से धारा 9(4) हिन्दु एडाप्शन एण्ड मेन्टेनेन्स अधिनियम के अन्तर्गत अनाथ, अवयस्क ,परित्यक्त बालिका [redacted] को दत्तक ग्रहण करने के लिए यह आवेदनपत्र दिनांक 23-12 -2009 को प्रस्तुत किया गया है । [redacted]

2- प्रार्थी का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी हिन्दु धर्मावलम्बी होकर 48 वर्षीय अविवाहित स्वस्थ महिला है जिसकी शादी नहीं हुई है व निकट भविष्य में शादी होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि डाक्टरी गायनिक जॉच के उपरान्त डाक्टर की राय में सन्तान उत्पन्न होने के बहुत कम अवसर है । प्रार्थिया शासकीय सेवा में होकर उसकी मासिक आय 80,000/- प्रतिमाह है। प्रतिप्रार्थी क्र0 1 मातृछाया सेवाभारती आश्रम होकर म0प्र0शासन के सामाजिक न्याय विभाग भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है,जो अवयस्क,परित्यक्त,अनाथ बालक बालिकाओं की देखरेख लालनपालन करती है और न्यायालय द्वारा वैध संरक्षक नियुक्त होने के पश्चात् योग्य दम्पत्ति को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् दत्तक देने का कार्य करती है । संस्था को गार्जियन प्रकरण क्रमांक 158/09 में पारित आदेश दिनांक 1-12-09

के अनुसार समन्वयक प्रेमासिंहसोलंकी को बालिका [redacted] का वैध संरक्षक नियुक्त किया गया है । प्रार्थिया को बच्चों से बहुत लगाव है, इसलिए बालिका अवधि आयु 1.5 वर्ष को दत्तक ग्रहण करने की कार्यवाही की है तथा संस्था के पक्ष में वांछित दस्तावेज भी पेश किये हैं । प्रार्थिया को [redacted] के जनक मातापिता का ज्ञान नहीं है । प्रार्थिया बालिका [redacted] को दत्तक ग्रहण करने के पश्चात् उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, ब्याह आदि तथा भविष्य सँवारने में पूर्ण सक्षम है और वह उसे वही अधिकारी देगी जैसा कोई पितामाता अपने पुत्र,पुत्री को देते हैं तथा लाड़प्यार व दुलार भी देंगे ।

3- प्रतिप्रार्थी संस्था की ओर से वादोत्तर पेश करते हुए प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिवचनों को स्वीकार किया है तथा प्रगट किया है कि प्रार्थी द्वारा [redacted] को दत्तक ग्रहण करने में उसका कोई निजी स्वार्थ, लाभ नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में कोई लेनदेन हुआ है और दत्तक ग्रहणकरने में प्रार्थी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है तथा [redacted] को प्रार्थी कोदत्तक देने में संस्था को कोई आपत्तिनहीं है।

4- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या प्रार्थिया प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 मातृछाया की सेवा भारती शिक्षा समिति इन्दौर से बालिका [redacted] को दत्तक ग्रहण करने की अनुमति प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

(2) सहायता एवं व्यय ?

सकारण निष्कर्ष एवं आधार

5- उभय पक्ष के अन्तिम तर्क एवं प्रकरण के समग्र अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया अविवाहित है, क्योंकि डाक्टरी राय के अनुसार भविष्य में सन्तान उत्पन्न होने के कम अवसर है इसलिए प्रार्थी अवयस्क बालिका [redacted] को दत्तक ग्रहण करने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की है तथा समर्थन में उभय पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध की गई है, जिसमें प्रार्थी डॉ० कु० [redacted] (प्रता01) के शपथपर दिये गये कथन में यह तथ्य आये हैं कि वह हिन्दू धर्मावलम्बी महिला होकर 47 वर्ष की है उसका विवाह नहीं हुआ और विवाह होने की सम्भावना भी नहीं है वह मानसिक रूप से व शारीरिकरूप से स्वस्थ है, उसे बच्चों से बहुत लगाव है वह राजा रमन्ना सेन्टर फार एडवांस टैक्नालाजी इन्दौर में सांइटिफिक आफिसर के पद पर पदस्थ है और मासिक आय 80000/- है उसकी स्वयं की चल अचल सम्पत्ति है और स्वयं का

Yashvi Translation

परमाणुनगर इन्दौर मे प्लाट है टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर गाड़ी भी है । प्रार्थिया ने प्रतिप्रार्थी संस्था में पल रही अनाथ ,परित्यक्त बालिका [redacted] को दत्तक ग्रहण करने की कार्यवाही की है और प्रतिप्रार्थी संस्था को वांछित दस्तावेज भी प्रदान किये हैं,प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी-1 उसकी छाया प्रति प्रदर्श पी-1सी है जिस पर उसके ए से ए हस्ताक्षर है तथा बी से बीछायाचित्र चस्पा है,स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पी-2 छाया प्रति पी-2 सी,आय की सेलरी पी-3 छाया प्रति पी-3 सी,पुलिस जॉच रिपोर्ट पी-4 एवं छाया प्रति प्रदर्श पी-4 सी है और दत्तक ग्रहण करने में उसकी माता की सहमति प्रदर्श पी-5 छाया प्रति प्रदर्श पी-5 सी है, होम स्टडी रिपोर्ट पी-6 होकर छाया प्रति प्रदर्श पी-6सी है ।

6-- प्रार्थी डॉ[redacted] (प्रसा.1) के कथन में यह तथ्य भी आये हैं कि बालिका [redacted] को दत्तक ग्रहण करने के पश्चात् उसे वही लाडप्यार, दुलार देगी जो एक जनक माता अपनी पुत्री को देती है तथा अपने समस्त वैधानिक अधिकार [redacted] में समाविष्ट करेगीयदि भविष्य में उसकी शादी होती है और कोई सन्तान उत्पन्न होती है तो [redacted] उसकी प्रथम पुत्री मानी जाकर उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जोप्रथमपुत्री को प्राप्त होते हैं । प्रतिप्रार्थी संस्था से उनका कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

7-- प्रतिप्रार्थी संस्था की ओर से प्रेमसिंह सोलंकी (प्रतिसा.1) संस्था की समन्वयक ने न्यायालय में शपथपर कथन किये हैं कि उनकी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है,जिसका पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदर्श डी-1 है,छाया प्रति डी-1 सी है,शासन द्वारा मान्यता प्रमाणपत्र प्रदर्श डी-2 छाया प्रति प्रदर्श डी-2 सी है तथा आम मुख्त्यारनामा प्रदर्श डी-3 है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श डी-3 सी है । [redacted] को अज्ञात व्यक्ति दिनांक 15-6-09 को द्वार पर छोड़ गया था जिसकी सूचना सम्बन्धित पुलिस को दी गई थी बालकल्याण समिति इन्दौर के द्वारा 25-11-09 को उसे निराश्रित घोषित किया गया,उसे न्यायालय द्वारा 1-5-09 के आदेशानुसार [redacted] का वैध संरक्षक नियुक्त किया गया हैआदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी-4 एवं छाया प्रति डी-4 सी है । उनकी संस्था के पक्ष में कु0डॉ0 अलका डंगे ने प्रदर्श पी-1 लगायत 6 के दस्तावेज पेश किये हैं, उनकी संस्था चाहती है कि अवनि को मातापिता का लाडप्यारमिले और उसका भविष्य उज्जवल हो । डॉ0 [redacted] को बालिका [redacted] को दत्तक देने में उनकी संस्था को कोई आपत्तिनहीं है ।

Yashvi Translation

8- प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रकरण के समग्र अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया बालिका [redacted] की पढ़ाई लिखाई व शादी-ब्याह करने में व उसका भविष्य संवारने में सक्षम है तथा दत्तक लेने में बालिका को मातापिता जैसा प्यार मिलेगा और उसका भविष्य उज्ज्वल होगा,जो उसके लिए कल्याणकारी होगा ।

9- परिणामतः प्रार्थी का आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है।प्रार्थी को बालिका [redacted] को दत्तक लेने की अनुमति प्रदान की जाती है ।प्रार्थी प्रतिप्रार्थी संस्था के पक्ष में, दत्तकग्रहण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराकर आदेश दिनांक से 15 दिन की अवधि में पंजीकृत विलेख की छायाप्रति न्यायालय में पेश करें,जिसे अभिलेख में संलग्न किया जाय ।

10- उक्तानुसार प्रार्थी अवयस्क,अनाथ एवं परित्यक्त बालिका [redacted] को प्रतिप्रार्थी संस्था से दत्तक स्वरूप प्राप्त करें ।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर पारित किया गया।

(महेन्द्र पी०एस०अरोरा)
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय,इन्दौर

(महेन्द्र पी०एस०अरोरा)
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय,इन्दौर

सि/-

मिलान किया गया

T.C.

2.2010

(महेन्द्र पी.एस. अरोरा)
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर (म. प्र.)